

अपीलांत की ओर से यह अपील वकील श्री रोशनलाल ने
संख्या नू संख्या अधि० की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी
संख्या (कालो) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के
तहत संख्या आवेदन/मुकदमा संख्या 01/2022 में पारित आदेश
दिनांक 13.5.24 के विरुद्ध प्रस्तुत की है।

1. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
2. प्रस्तुत अपील पर न्याय शुल्क पूर्ण है।
3. प्रस्तुत अपील पत्र म्याद बाहर है।
4. अपील के साथ रेस्पों के सम्मन निर्धारित कोर्ट फीस के प्रस्तुत
किये गये हैं।
5. अपील के साथ मियाद अधि० की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र
मय श०प० प्रस्तुत है।
6. अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।
7. प्रकरण में केवियटर अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोलंकी द्वारा
प्रार्थी-रेस्पोंसं 1-छत्तरसिंह की ओर से द्वारा केवियट प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्हें अपील मीमो व उसके सलग्न
प्रार्थना पत्रों की प्रति दी जाकर अपील मीमो पर प्राप्ति ली गई।

आदेशार्थ प्रस्तुत है।

रीडर 26/5/25

अति० संभागीय आयुक्त महोदय

10.06.25 वकील अपीलांत एवं केवियटर अधिवक्ता उपस्थित। वकील
अपीलांत द्वारा उक्त आदेशिका के पृष्ठ भाग पर 'विड्रोल'
अंकित कर मुख्यतः यह आग्रह किया कि अपीलांत इस अपील
को आगे चलाना नहीं चाहता है, इसलिए उक्त अपील जरिये
विड्रोल खारिज फरमावे। अतः वकील अपीलांत की इस्तदुआ पर
उक्त अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज
रजिस्टर कर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर